संख्या एसएमएस-7/2002-आरडीडी-भाग-IV 1656-1824

148

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक

सचिव (ग्रा०वि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1- समस्त अध्यक्ष,
जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।

2- समस्त अध्यक्ष,
पंचायत समिति, हिमाचल प्रदेश।

3- समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171009 30 जून,2008

विषय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन।

महोदय / महोदया,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12 जून 2008 जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये थे, के सन्दर्भ में आपसे अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त पत्र के पैरा संख्या-5 को निम्न प्रकार से पढा जाये:-

5. योजना के अन्तर्गत टिकाउ परिसम्पतियों **(Durable Assets)** के निर्माण हेतु कार्य की कुल लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत भाग सामग्री तथा कुशल / अर्ध कुशल मज़दूरी पर व्यय किया जाए। यद्यपि योजना के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी और सामग्री तथा कुशल / अर्ध कुशल मज़दूरी पर व्यय 60:40 के अनुपात में किया जाना निर्धारित है तथापि यह अनुपात प्रत्येक कार्य-वार आवश्यक नही है। मज़दूरी और सामग्री पर व्यय का 60:40 अनुपात जिला स्तर पर होना आवश्यक है।

भवदीय,

विशेष सचिव (ग्रा०वि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक : शिमला-171009 1825-49 30 जून,2008

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त उपायुक्त एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हिमाचल प्रदेश।

विशेष सचिव (ग्रा०वि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार